न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 82/2024(GCMS : 2024/116)

श्रीराम सिटी यूनियन फाईनेन्स लिमिटेड हाल मर्ज (श्रीराम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) जरिये प्राधिकृत अधिकारी निशान्त धुन्ना

बनाम

1. **मैसर्स कम्बोज ट्रेडर्स** जरिये प्रेम गोपाल पुत्र उत्तम दास व पार्वती पत्नी गोविन्द प्रसाद दुकान नं. 63 जी ब्लॉक, नई धानमंडी, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
2. **प्रेम गोपाल** पुत्र उत्तम दास वीपीओ 13 एफएफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **पार्वती** पत्नी गोविंद प्रसाद वीपीओ 13 एफएफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री मनोज अरोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कम्बोज ट्रेडर्स जरिये प्रेम गोपाल, प्रेम गोपाल एवं पार्वती को ऋण सुविधा के रूप में 22.00/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.09.2015 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 25.01.2024 को 49,21,936/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मै. कम्बोज ट्रेडर्स द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 63 जी (क्षेत्रफल 25 गुणा 130 फुट) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मै. कम्बोज ट्रेडर्स जरिये प्रेम गोपाल, प्रेम गोपाल एवं पार्वती को ऋण सुविधा के रूप में 22.00/– (बाईस लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 19.09.2015 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. कम्बोज

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ट्रेडर्स ने अपनी **अचल सम्पत्ति दुकान नं. 63 जी (क्षेत्रफल 25 गुणा 130 फुट) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.08.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी मै. कम्बोज ट्रेडर्स की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 63 जी (क्षेत्रफल 25 गुणा 130 फुट) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 25.01.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25.01.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 25.01.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. कम्बोज ट्रेडर्स द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लि. हाल मर्ज (श्रीराम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मै. कम्बोज ट्रेडर्स **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 63 जी (क्षेत्रफल 25 गुणा 130 फुट) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर